

कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग  
उत्तराखण्ड, काशीपुर

पत्रांक 2993/1

/निर्माण/काशीपुर 27-1-2023

Website- sugarcane.uk.gov.in  
email-commissionercanesugar@gmail.com

**अल्पकालीन निविदा सूचना**

आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग उत्तराखण्ड की ओर से निम्नलिखित कार्यो की मूहुरबन्द निविदायेँ दिनांक 6.2.2023 को दिन के 1:00 बजे अपराहन तक इच्छुक ठेकेदारों/फर्मो से उपरोक्त कार्यालय मे आमंत्रित की जाती है, जिन्हे उसी दिन अपराहन 2:00 बजे कमेटी द्वारा खोला जायेगा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की निविदा लागत (लाख रू०में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू०में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा कय किये जाने हेतु अर्हता
1	2	3	4	6	7
1	आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड के कार्यालय के भूतल के गलियारे में विट्रीफाइड टाईल लगाने, साइड के द्वार में एल्युमिनियम गेट लगाने तथा अन्य कार्य।	4.310	500+ जी०एस०टी०	1 माह	उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत विभागीय/अन्य कार्यदायी संस्थाओ में भवन निर्माण डी श्रेणी या उच्चतर श्रेणी

निविदा दस्तावेज उपरोक्त कार्यालय से दिनांक 28.1.2023 से दिनांक 5.2.2023 तक कार्य दिवस में कय/उपरोक्त विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र के साथ निविदा मूल्य व 2 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि प्रस्तुत करनी होगी। निर्माण कार्य हेतु गठित कमेटी को एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। अन्य विवरण/शर्तें, निविदा प्रपत्र, बिल ऑफ क्वान्टिटी व अनुबन्ध प्रपत्र में देखी जा सकती है।

(एच० आर० वर्मा)

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय आयुक्ता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग  
उत्तराखण्ड, काशीपुर

कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड  
निविदा आमंत्रण प्रपत्र

(निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्तें एवं प्रतिबन्ध )

- विज्ञप्ति सं०.....  
उद्घोषणा/कार्य का नाम :
- दिनांक ....., मूल्य रू०— 500.00+जी०एस०टी०  
आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग कार्यालय के भूतल के गलियारे में विट्रीफाइड टाईल लगाने, साइड के द्वार में एल्यूमिनियम गेट लगाने तथा अन्य कार्य।  
विभागीय website- [www.sugarcane.uk.gov.in](http://www.sugarcane.uk.gov.in) पर निविदा दाताओं के उपयोगार्थ कार्य से संबंधित सामान्य निविदा, शर्तें निविदा प्रपत्र व मात्राकृत दर सूची शर्तों के साथ भी प्रदर्शित की जा रही है।
1. मानक प्रपत्र : 4.472 लाख
2. अनुमानित लागत रू०:  
(कन्टीनजेन्सी व G.S.T सहित)
- 2 अ. निविदा का प्रकार: एकल प्रणाली
3. निविदा लागत (G.S.T सहित) रू० : 4.310 लाख
4. निविदा प्रतिभूति की धनराशि रू० : रू० 8,650.00  
4 A जमानत: अनुबन्ध के पूर्व अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के (नियम 44 के अर्न्तगत) वाणिज्यिक बैंकों से निर्गत अदाता के नाम एकाउन्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी आदि के रूप में अनिवार्यतः 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति गारंटी एवं प्रतिपूर्ति निक्षेप हेतु 5 प्रतिशत को अलग अलग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 5 प्रतिशत को Retention Money के रूप में प्रयोग किया जायेगा।
5. कार्य पूरा करने का समय : 1 माह
6. क्षतिपूर्ति प्रतिभूति : उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 44 खण्ड (ड०) के अधीन (निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये संविदा मूल्य का 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत वसूला जायेगा)
7. निविदा की वैधता : 120 दिन
8. टेकेदार का नाम : .....
- (जिसे निविदा फार्म बेचा गया तथा पूरा पता) .....
9. टेकेदार की वैध पंजीकृत श्रेणी : .....
- (स्वसत्यापित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति सहित)
10. निविदा फार्म के साथ कुल संलग्नको की संख्या : .....



निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
सील

## सामान्य नियम व शर्तें:

1. निविदाओं का मुहरबन्द होना आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
2. निविदा खोलते समय सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता की अनुपस्थिति में निविदायें खोलने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3. निविदा मोहरबन्द लिफाफे में संरक्षित कर प्रस्तुत की जाएगी। निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड लिखा होना एवं विज्ञापन संख्या और कार्य का नाम उल्लेखित होना चाहिये।
4. कार्य के किसी भी आइटम की मात्राये घट/बढ़ सकती हैं जिसकी दर के सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। यदि किसी आइटम की यूनिट में मिसप्रिंट अथवा स्पेशिफिकेशन में अन्तर स्पष्ट होता है तो केन्द्रीय लोनिविभाग की शैड्यूल की यूनिट व अद्यतन विस्तृत स्पेशिफिकेशन मान्य होगी।
5. कार्य निर्धारित समय के अन्दर, समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा ठेका रद्द कर तत्समय जमा जमानत की धनराशि (2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को सम्मिलित कर) निक्षेपित/जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की माँग में दिये गये तर्कों को कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की सहमति व शासन के तत्समय के नियमों के तहत ही समय वृद्धि दी जायेगी। इस विषय पर अनुबन्ध कर्ता अधिकारी का निर्णय स्वीकार होगा।
6. समस्त कार्य तथा उसका प्रत्येक आइटम विभागीय नियम निर्देश व स्पेशिफिकेशन के आधार पर सम्पन्न करना होगा। कार्य पूर्ण होने के 24 माह बाद तक कार्य में पायी जाने वाली त्रुटि के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस अवधि में Retention Money विभाग में जमा रहेगी।
7. कार्य के अनुबन्ध के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अर्बीट्रेटर के रूप में आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
8. यदि ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई धनराशि वाजिब रह जाती है तो उसकी वसूली कानूनी तौर पर राजस्व विभाग के माध्यम से की जायेगी।
9. कार्य की अन्तिम माप अंकित किये जाने तक समस्त मैटीरियल की देख-रेख व कार्य की स्टैविलिटी आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
10. एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता कार्यालय आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के पास सुरक्षित रहेगा।
11. तकनीकी निविदा के साथ 100/रु० मूल्य का नान ज्यूडीशियल नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश इस प्रकार आपेक्षित है कि:-
  - (1) पूर्व में उसकी पंजीकृत/फर्म को सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश में किसी भी अधिप्राप्ति कर्ता संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
  - (2) निविदा दाता फर्म/ठेकेदार का निविदा कमेटी के किसी सदस्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, कार्य प्रस्ताव अथवा सम्पादन के लिए नियामक की ओर से नियुक्त पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है।
  - (3) निविदा प्रपत्रों के साथ चाहे गये सभी प्रपत्र वैध रूप में प्रस्तुत किये गये हैं किसी तथ्य के असत्य, भ्रामक या असंवैधानिक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार उपायुक्त, गन्ना एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड काशीपुर में निहित होगा।
  - (4) शपथ पत्र में उद्घाटित तथ्य सत्य और साक्ष्यों के आधार पर सही है।
    12. पावर आफ अटार्नी मान्य नहीं होगी।
    13. निर्माण कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना व जानमाल के क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
    14. स्वप्रमाणित जी०एस०टी० प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
    15. सामग्री की मात्राओं के अनुसार सैम्पिल टेस्टिंग राज्य की प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा जिसमें आने वाला व्यय ठेकेदार के बिलों से वसूला जायेगा। यदि ठेकेदार जानबूझ कर किसी सामग्री की क्वालिटी में विवाद पैदा करता है तो उसकी जाँच की फीस भी ठेकेदार के बिल से ही वसूली जायेगी।
    16. कार्य की प्रगति के दौरान रनिंग भुगतान अनुबन्ध की धनराशि का 10 प्रतिशत से नीचे की धनराशि का नहीं किया जायेगा। माप पुस्तिका बनने के एक माह के अंदर भुगतान होगा। इस बीच की अवधि में ठेकेदार कार्य बंद नहीं करेगा।
    17. उत्तराखण्ड राज्य की कार्यदायी संस्थाओं में पंजीकृत ठेकेदारों को ही निविदा बेची जायेगी।
    18. पात्रता के मानकों को पूर्ण करने के उद्देश्य से राजकीय विभाग से निर्गत वैध पंजीकरण की स्वसत्यापित प्रति लगानी होगी।
    19. ठेकेदार को यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के मुख्यालय व आवासीय कालोनी की सुरक्षा व्यवस्था में आपके द्वारा कार्य कराये जाने के दौरान कोई कमी न होने पाये।





20. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 48 (क) अनुसार न्यूनतम निविदा लागत के कार्य को ठेकेदार से जी0पी0डब्लू 9 की शर्तों पर तैयार किये गये अनुबन्ध पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होंगे। (अनुबन्ध प्रपत्र को कार्यालय में देखा जा सकता है)
21. शासनादेश सं0 6447/III(2)/11-20(सा0)/11 दिनांक 2 जनवरी 2013 के अनुसार दी जा रही निविदा लागत विभागीय निविदा लागत से 5 प्रतिशत से भी कम होने पर परफारमेन्स सिक्योरिटी डिपोजिट करनी होगी।
22. बिलो से नियमानुसार जी0एस0टी0,लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। खनिज मेटिरियल में रायल्टी जमा करने का प्रमाण भी विभाग में उपलब्ध कराना होगा।
23. डाउनलोड निविदा प्रपत्र के मूल्य को निविदा पेटी में निविदा डालने से एक दिन पूर्व की तिथि, के बैंक ड्राफ्ट (संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर के पदनाम का बना हुआ) से अथवा विभाग में नगद जमा उपरान्त रसीद कटवाकर अदा करना होगा।
24. निविदा धरोहर निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत धन (टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 अधिशासी अभियन्ता कार्यालय आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड के पदनाम का बना हुआ) के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। मापदण्डों को पूरा करने वाले निविदा दाताओं की निविदा स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिभूति सहित) प्रतिशत जमानत/कार्यपूर्ति प्रतिभूति/धरोहर की धनराशि एन0एस0सी0/ एफ0डी0आर0 वाणिज्यिक बैंक से निर्गत अदाता के नाम एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में उपायुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड काशीपुर के पदनाम से निर्गत हो (जिसमें से 5 प्रतिशत की धनराशि Deffect liability अवधि तक के लिए वैध हो) प्रस्तुत करनी होगी तभी कार्यदेश दिया जायेगा।
25. निविदा स्वीकार किए जाने के बाद 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को कार्यदेश प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

मैं हम..... पुत्र श्री..... निवासी.....का हूँ/है। मैंने हमने उपरोक्त कार्य से संबंधित निविदा सूचना दिनांक..... को पढ़ी तथा कार्यस्थल, की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। कार्यस्थल की समस्त परिस्थितियों, विभागीय नियम व शर्तों की दृष्टिगत रखते हुए मैं/हम अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रहे हैं तथा उपरोक्त कार्य को संलग्न बिल आफ क्वान्टिटी की दरों से.....(अंकों व शब्दों में) प्रतिशत कम /अधिक पर करने को तैयार हूँ/है।

जमा की गयी अर्नेस्ट मनी का विवरण निम्न प्रकार है—  
 रूपये.....  
 रसीद सं0.....दिनांक.....  
 बैंक ड्राफ्ट /एफ0डी0आर0 सं0.....

ह0 ठेकेदार

(कार्यालय कार्य के लिये)

आज दि0.....मे निविदा कमेटी द्वारा निविदा खोली गयी। निविदाये स्वीकृत/अस्वीकृत की गयी।

निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदा कमेटी, के प्रस्ताव पर उपायुक्त/आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के प्रस्ताव सं0..... दिनांक.....द्वारा कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।



ह0 संयोजक

# BIIL OF QUANTITYS

**Name Of Work :-** आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग कार्यालय के भूतल के गलियारे में विट्रीफाइड टाइल लगाने, साइड के द्वार में एल्यूमिनियम गेट लगाने तथा अन्य कार्य।

Tender cost ~~Rs~~ 431056.69


S.N o	Description of items	Qty .	Unit	Rate in Rs	Amount in Rs
		4	5	7	8[4x7]
1	3				
1.	Providing and laying vitrified floor tiles in different sizes (thickness to be specified by the manufacturer) with water absorption less than 0.08% and conforming to IS: 15622, of approved make, in all colours and shades, laid on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand), jointing with grey cement slurry @ 3.3 kg/ sqm including grouting the joints with white cement and matching pigments etc., complete. Size of Tile 600x600 mm.	190.80	M2	1575.60	300624.48
2.	Hacking of CC flooring including cleaning for surface etc. complete as per direction of the Engineer-in-Charge	190.80	M2	2.60	496.08
3.	Grouting the joints of flooring tiles having joints of 3 mm width, using epoxy grout mix of 0.70 kg of organic coated filler of desired shade (0.10 kg of hardener and 0.20 kg of resin per kg), including filling / grouting and finishing complete as per direction of Engineer-in-charge. size of Tile 600x600 mm	190.80	M2	253.50	48367.80
4.	Providing and fixing glazing in aluminium door, window, ventilator shutters and partitions etc. with EPDM rubber / neoprene gasket etc. complete as per the architectural drawings and the directions of engineer-in-charge . (Cost of aluminium snap beading shall be paid in basic item): With float glass panes of 5 mm thickness (weight not less than 12.50 kg/ sqm)	3.84	M2	1361.20	5227.00
5.	Providing and fixing powder coated aluminium work (minimum thickness of powder coating 50 micron) consisting of tee/ angle sections. of approved make conforming to IS : 733 in frames of false ceiling including aluminium angle cleats with necessary C.P. brass/ stainless steel sunk screws, aluminium perimeter angles fixed to wall with stainless steel rawl plugs @ 450 mm centre to centre and fixing the frame work to G.I. level adjusting hangers 6 mm dia. with necessary cadmium plated machine screws all complete as per approved architectural drawings and direction of the Engineer-in-charge (level adjusting hangers, ceiling cleats and expansion hold fasteners to be paid for separately)	36.90	kg	704.40	25992.36
6.	Providing and fixing 12 mm thick prelaminated particle board flat pressed three layer or graded wood particle board conforming to IS: 12823 Grade I Type II, in panelling fixed in aluminium doors, windows shutters and partition frames with C.P. brass / stainless steel screws etc. complete as per architectural drawings and directions of engineer-in-charge. Prelaminated particle board with decorative lamination on both sides	4.16	M2	1099.20	4572.67
7.	Providing and fixing aluminium sliding door bolts, ISI marked anodised (anodic coating not less than grade AC 10 as per IS : 1868), transparent or dyed to required colour or shade, with nuts and screws etc. complete : 300x16 mm	2.00	Each	270.00	540.00
8.	Providing and fixing aluminium tower bolts, ISI marked, anodised (anodic coating not less than grade AC 10 as per IS : 1868 ) transparent or dyed to required colour or shade, with necessary screws etc. complete : 300x10 mm.	2.00	Each	122.60	245.20
9.	Providing and fixing double action hydraulic floor spring of approved brand and manufacture conforming to IS : 6315, having brand logo embossed on the body / plate with double spring mechanism and door weight upto 125 kg, for doors, including cost of cutting floors, embedding in floors as required and making good the same matching to the existing floor finishing and cover plates with brass pivot and single piece M.S. sheet outer box with slide plate etc. complete as per the direction of Engineer-in-charge.	2.00	Each	2701.70	5403.40
10	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift up to 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kinds of soil.	10.50	M3	264.90	2781.45
11.	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering – All work up to plinth level : 1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand (zone-III) : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size) .	1.50	M3	6079.10	9118.65
12.	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in: Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand).	2.88	M3	6695.00	19281.60
13.	12 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement: 4 fine sand) .	30.00	M2	280.20	8406.00
	Total				431056.69



1. अनुबन्ध स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार जमा करनी होगी।
2. आगणित निविदा लागत अंको व शब्दो मे भरी जायेगी। निविदा प्रपत्र में कोई भी मॉगी गयी सूचना खाली नही रखी जाएगी।
3. बढ़ी हुई मात्राओं का स्वीकृत निविदा दर पर भुगतान किया जायेगा।
4. यदि बिल आफ क्वांटिटी से इतर आइटमों पर कार्य ठेकेदारों से कराया जाता है तो वर्तमान शैड्यूल आफ रेट्स पर इनका भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त किया जायेगा।
5. टेण्डर डालने से पूर्व ठेकेदार प्रस्तावित कार्य का ले आउट, ड्राईंग व कार्य स्थल का निरीक्षण भली प्रकार कर लेवे।
6. अन्तिम बिल भुगतान की कार्यवाही गुणवत्ता की संतोषजनक रिपोर्ट के पश्चात की जायेगी।
7. यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा प्रपत्र/खोलने के दिवस को राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस को कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। यदि किसी निविदा दाता को निविदा बेच दी जाती है तो इसका यह अर्थ नही लगाया जा सकेगा कि वह निविदा देने हेतु पात्र है।
8. कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदा दाता को स्वयं करनी होगी तथा स्थल पर सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
9. निविदा प्रपत्र केवल वांछित श्रेणी में विज्ञापन मे उल्लिखित पंजीकृत ठेकेदारो को ही मूल पंजीकरण प्रमाण दिखाने पर विक्रय किये जायेगें।
10. निविदा मे भरे गये तथ्यों के सम्बन्ध मे प्रमाणित पत्रों की छाया प्रतियाँ लगानी अनिवार्य है।
11. कार्य स्थल पर घटित किसी भी प्राकृतिक तथा मानवीय आपदा के लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा, समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। कार्य के लिए Defect liability period दो वर्ष होगा। उक्त बिल ऑफ क्वांटिटी की स्पेसिफिकेशन अस्पष्ट होने की दशा मे C.P.W.D Circle Delhi की स्पेसिफिकेशन अन्तिम रूप से मान्य होगी।
12. बिल आफ क्वांटिटी में उल्लेखित आइटम के पूर्ण होने पर ही उस आइटम को अन्तिम बिल में सम्मिलित किया जायेगा।
13. कार्य से संबंधित मजदूरों की कार्य स्थल में कार्य के समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।
14. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
15. विभाग की बिजली उपयोग करने पर वाजिब बिल की कटौती बिल से की जायेगी।
16. अधूरे आइटम के आधार पर उस मद में कोई भुगतान नही किया जायेगा।
17. कार्यदेश धन की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा।
18. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
19. प्रस्तावित कार्य की स्पेसिफिकेशन अनुसार स्थल पर कार्य, कनिष्ठ अभियन्ता की देख-रेख में किया जायेगा।
20. कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर अथवा गुणवत्ता-युक्त कार्य न पाये जाने की दशा में जी0पी0डब्लू0-9 की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
21. सभी प्रकार के टैक्स की कटौती बिल भुगतान के समय लागू नियमों के अनुसार होगी।
22. कार्य का भुगतान मापन के आधार पर किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
मुख्यालय काशीपुर

  
सहायक अभियन्ता  
ऊधमसिंहनगर

  
अधिशारी अभियन्ता  
उत्तराखण्ड

बिल ऑफ क्वांटिटी में दी गई दरो शर्तें एवं टेण्डर शर्तों को मैंने भली भँति पढ़ लिया है। इन्ही के आधार पर निविदा प्रपत्र मे अपनी निविदादर भरकर इसे निविदा फार्म के साथ संलग्न कर बन्द लिफाफे के अन्दर रखते हुये निविदा पेटी मे डाल रहा हूँ

हस्ताक्षर ठेकेदार